

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या_03/2021 (2021/37)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

नवीन कुमार जैन पुत्र महावीर चन्द जैन, फर्म मैसर्स – नवीन कुमार, राज प्राईमरी स्कूल के पास, बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। निवासी – राज0 प्राईमरी स्कूल के पास, बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

–:आदेश :-

दिनांक :- 05.01.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.11.2020 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग फर्म मैसर्स – नवीन कुमार, राज प्राईमरी स्कूल के पास, बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से नवीन कुमार जैन उपस्थित मिले। दुकान का निरीक्षण करने एल्यूमिनियम के भगोने में आम जनता को विक्रय हेतु करीब 30 किलोग्राम गुलाब जामुन (मैदा, मावा, घी निर्मित मिठाई) थे। मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 700/- नगद देकर 2 किलोग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंगन है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त गुलाब जामुन को 4 प्लास्टिक की बोतल में डालकर चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम-2485 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-2485 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम-2485



सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंगन है।

कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 12.11.2020 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग-अलग असल सलंगन है।

एम-2485 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 11.11.2020 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 11.11.2020 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग-अलग मूल सलंगन हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 778-779 दिनांक 24.12.2020 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 927/एक्ट/2020/926 दिनांक 21.12.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (नई जंदकंतकध्वमे दवज बवदवितउ) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्टे सलंगन है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 16.04.2021 को उपस्थित हुआ तथा लिखित जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने लिखित में जवाब पेश कर कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गुलाब जामुन का नमूना जांच हेतु लिया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार गुलाब जामुन में 16.23 प्रतिशत फैट पाया गया जबकि नियमानुसार कम से कम 21 प्रतिशत होना चाहिए जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। यदि अप्रार्थी द्वारा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित कर अपराध का शमन करवाने की कृपा करावें।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु गुलाब जामुन का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट एल. एस. 927/एक्ट/2020/926 दिनांक 21.12.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (नई जंदकंतकध्वमे दवज बवदवितउ) होना पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके

अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (पप) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

अप्रार्थी नवीन कुमार जैन पर शास्ती रूपये 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2022/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. नवीन कुमार जैन पुत्र महावीर चन्द जैन, फर्म मैसर्स - नवीन कुमार, राज प्राईमरी स्कूल के पास, बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। निवासी - राज0 प्राईमरी स्कूल के पास बालेसर दुर्गावता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।